


30/9/11

1.11.19

सहायक कलेक्टर
SDO गुडामालानी

पत्रावली आज पेश हुई।
वक्तुलात पक्षकारान उपस्थित।
आज पी. अ. महोदय दीगर आयश्यः
कार्यो मे व्यरत है। अतः इत्यादा हाकर
पत्रावली आइन्दा 10/11/11 को पेश हो।

~~सहायक कलेक्टर~~ ~~गुडामालानी~~



वाडी तेजाराज वउतेके अचिकवना उप। वाडी के
शर्भना पत्र पेश कर पत्रावली आज पेशी पर लेने का निवेदन
किया। जिस पर पत्रावली आज सुनवाई में ली गई। वाडी
तेजाराज ने शर्भना पर वाड विद्रोह करने का पत्र का निवेदन
दिया कि उक्त अनवान प्रकार के सम्बन्ध में मैं पत्रावली
लोक अदालत की आवना से समाज के मौजिब व्यक्ति
द्वारा आपसी रणनीति करवा दिया है अब उक्त अनवान
की भुक्ति के सम्बन्ध में अब हमारे बीच कोई विवाद
नहीं रह है। जिससे हममें उक्त प्रकार कागो नहीं
चलाना चाहता है। प्रकार जलिये खारिज विद्रोह
फैलाना जावे। वाडी वकील ने प्रकार विद्रोह की लहकत
अतः वाडी तेजाराज का वाड विद्रोह खारिज किया
जाता है पत्रावली निर्णय सुमाट होकर दाखिल
रहता है।

उपखण्ड अधिकारी
गुडामालानी जिला-बाडमेर

